भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

राज्यर सभा

लिखित प्रश्न सं. **2118** जिसका उत्तंर

सोमवार, 28 जुलाई, 2014/6 श्रावण, 1936 (शक) को दिया जाना है

पत्तान प्रशासन में वित्ती य अनियमितताएं

2118. श्री बलविंदर सिंह भुंडर :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्याप मंत्रालय ने सभी महापत्तेन न्याोसों के अध्यौक्षों को पत्र लिखकर पत्तरन प्रशासन में बढ़ती वित्तीकय अनियमितताओं के संबंध में स्प ष्टीाकरण मांगा है

(ख) क्या महापत्तधनों पर जहाज परिचारकों और कार्गो सम्भालाई एजेंटों की नियुक्तियों में भ्रष्टातचार सामने आये हैं

(ग) यदि हां , तो तत्सं बंधी ब्यौंरा क्याा है

(घ) क्याह वित्तीोय अनियमितताओं से पत्त नों को कोई वित्तीकय हानि हुई है

(ड.) यदि हां, तो तत्संमबंधी पत्तनवार ब्यौतरा क्याक है और

(च) क्याह इस संबंध में कोई जिम्मेंवारी तय की गई है और कार्रवाई की गई है ?

उत्तचर

पोत परिवहन राज्यह मंत्री

(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क): जी, नहीं।

(ख) और (ग): अभ्याहवेदनप्राप्तऔ हुए हैं कि जहाज परिचारकों/कार्गो सम्भमलाई एजेंटों से राजस्वर अंश/रॉयल्टीी एकत्र करने के लिए महापत्तकनों द्वारा तंत्र तैयार किया जाना चाहिए और अपने ग्राहकों से जहाज परिचारकों/कार्गो सम्भमलाई एजेंटों द्वारा एकत्र किया गया प्रभार टैम्पच द्वारा विनियोजित किया जाना चाहिए। पोत परिवहन मंत्रालय ने मौजूदा स्टेजवडोरिंग नीति की जांच और नीति ढ़ांचा को सुदृढ़ बनाने तथा इसे अधिक प्रभावी एवं उद्देश्यंपूर्ण बनाने के लिए उपयुक्तव सिफारिशें करने के लिए जून 2013 में विकास सलाहकार (पत्त न) की अध्यवक्षता में समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौप दी है। अध्यमक्ष भारतीय पत्तनन संघ की अध्यीक्षता और सदस्यों् के रूप में चार अन्यध पत्त्न न्यारस अध्यतक्षों के अंतर्गत एक समिति ने विकास सलाहकार (पत्त्न) की सिफारिशों का अध्यंयन किया है और रॉयल्टीि / राजस्वर अंश को एकत्र करने पर अभ्यासवेदन भी प्राप्ते किया है। समिति ने हाल ही में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुसत की है।

(घ) से (च): प्रश्नु नहीं उठता ।

*****